वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग– II
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या :– FP/CG/TRANS./33519/2018

<table>
<tr><td>7</td><td>परियोजना/स्कीम का स्थान</td><td colspan="4">132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण</td></tr>
<tr><td>i</td><td>राज्य/संघ शासित क्षेत्र</td><td colspan="4">छत्तीसगढ़</td></tr>
<tr><td>ii</td><td>जिला</td><td colspan="4">सूरजपुर</td></tr>
<tr><td>iii</td><td>वन प्रभाग</td><td colspan="4">सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर</td></tr>
<tr><td rowspan="5">iv</td><td rowspan="5">वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि</td><td>परिक्षेत्र का नाम</td><td>वनखण्ड</td><td>कक्ष क्रमांक</td><td>आवेदित क्षेत्र का रकबा (हे.मे.)</td></tr>
<tr><td>घुई</td><td>चिरवनपाट</td><td>पी 226</td><td>1.367</td></tr>
<tr><td>घुई</td><td>माटीगढा (पार्ट)</td><td>पी 102</td><td>2.185</td></tr>
<tr><td>वन विकास निगम को हस्तांतरित क्षेत्र</td><td>चिकनी</td><td>पी 219</td><td>6.032</td></tr>
<tr><td></td><td>योगः–</td><td>9.584</td></tr>
<tr><td>v</td><td>वन की कानूनी स्थिति</td><td colspan="4">संरक्षित वन</td></tr>
<tr><td>VI</td><td>वनस्पति का घनत्व</td><td colspan="4">वन घनत्व – 0.5</td></tr>
<tr><td>VII</td><td>प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल.–2 मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाए।</td><td colspan="4">आवेदित क्षेत्र में कुल वृक्षों की संख्या 1176 प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम चेक लिस्ट क्रमांक– 12 में संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>viii</td><td>भू–क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशील पर संक्षिप्त टिप्पणी</td><td colspan="4">132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण हेतु आवेदित संरक्षित वनभूमि में भू –क्षरण नगण्य है।</td></tr>
<tr><td>ix</td><td>वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी.</td><td colspan="4">प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन वनक्षेत्र से होकर गुजरती है।</td></tr>
<tr><td>x</td><td>क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान,वन्यजीव अभ्यारण्य, जैब मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)</td><td colspan="4">नही है।</td></tr>
<tr><td>xi</td><td>क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें ।</td><td colspan="4">नही है।</td></tr>
<tr><td>xii</td><td>क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।</td><td colspan="4">नही है।</td></tr>
<tr><td>8</td><td>प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 मे प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही तो, जाँचे गये विकल्पों के</td><td colspan="4">प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग –1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की मॉग न्युनतम एवं आवश्यक है।</td></tr>
</table>

	ब्यौरो सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है । (हाँ/नही) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे है।	नहीं है।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
i.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण में संरक्षित वनभूमि 3.552 हे. एवं वन विकास निगम अंतर्गत संरक्षित वनभूमि 6.032 हे. कुल सकल प्रभावित 9.584 हे. वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वनभूमि रकबा 9.584 हे. ग्राम पलारीडांड, प.ह.न. 10 रा.नि.म. सोनहत, तह. सोनहत जिला – कोरिया में निजी भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु क्रय कर वन विभाग को हस्तांतरित एवं नामांतरित की गई है। भूमि का विवरण एवं मानचित्र चेक लिस्ट क्रमांक–14 में संलग्न है।
ii	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप ।	संलग्न हैं
iii	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	संलग्न हैं
iv	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	रुपये 6960572.00
v	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रतिपूरक वनीकरण परियोजना चेक लिस्ट क्रमांक 16 में संलग्न है।
11	जिला उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi,xii), 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करे)	आवेदित क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ नही पाई जाती है न ही आवेदित क्षेत्र में कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। वनभूमि की मांग प्रस्तावित परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। आवेदक सस्थान द्वारा वन अधिनियम 1980 का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नही किया गया है
12-	विभाग/जिला प्रोफाईल	
i.	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	जिले का कुल 5181.855 वर्ग कि.मी. भौगोलिक क्षेत्र है।
ii.	जिले का वनक्षेत्र	जिले का कुल 1761.930 वर्ग कि.मी. वनक्षेत्र है।
iii.	मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र ।	25 मामलो मे 2580.524 हेक्टर
iv.	1980 में जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरकः	4676.481 हे.

	क. दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि।	निरंक
	ख. वनेत्तर भूमि पर ।	67.167
v.	वर्ष 2018–19 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :–	
	क. वनभूमि पर।	4609.314 हे.
	ख. वेनेत्तर भूमि पर	67.167 हे.
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण होने से सरगुजा संभाग के सूरजपुर, बलरामपुर एवं सरगुजा जिले मे बिना रुकावट गुणवत्ता पूर्ण विद्युत आपूर्ति होगी। इस परियोजना से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र मे कृशि एवं औद्योगिक विकास होने से रोजगार होने की पुरी संभावना है। राष्ट्रहित में व्यापवर्तन प्रस्ताव की स्वीकृति करने की अनुशंसा सहित प्रेषित है।

दिनांक : 27-06-2019

स्थान : 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन

B.P.Singh
(I.F.S.)
Divisional Forest Officer
Surajpur Division,Surajpur(C.G.)